न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,भरतपुर

अपील/02/2024

1– सुरेन्द्र कुमार उम्र 32वर्ष । पुत्रान स्व0 रमेश चंद जातियान जाटव
2– योगेन्द्र कुमार उम्र 28 वर्ष। निवासीयान ग्रांम मलाह थाना सेवर जिला भरतपुर (राज0)

....अपीलार्थी0

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी भरतपुर
2–डालचन्द्र पुत्र सोनपाल उम्र 79 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्रांम मलाह पुलिस थाना सेवर जिला भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 1–5–2024 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी, भरण पोषण भरतपुर ।

उपस्थित :–

1–श्री मदनमोहन अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार, रेस्पो–1

निर्णय **दिनांक 19.07.2024**

अपीलार्थी ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 1–5–2024 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.5.2024 में उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने प्रार्थना पत्र धारा 05 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को स्वीकार किया जाकर रेस्पो0 नं.1 व 2 को 2500/– प्रतिमाह महीने की 10 तारीख से पूर्व पंजाब नेशनल बैंक जवाहर नगर भरतपुर शाखा में रेस्पो डालचन्द्र पुत्र सोनपाल उम्र 79 वर्ष जाति जाटव निवासी ग्रांम मलाह तहसील भरतपुर के बैंक खाते में जमा कराये जाने की आज्ञा दी गई है, साथ ही रेस्पो0 डालचन्द्र पुत्र सोनपाल को परेशान नही करनें सद्भावना पूर्ण व्यवहार करने एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखने के लिये पाबन्द किया गया है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलबी की गई। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से तहत पत्रावली तलब की गई। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट को सुना गया।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
भरतपुर (राज.)

योग्य अभिभाषक ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट के बाबा डालचन्द्र पुत्र सोनपाल ने हमारे हक में सहमति दे दी है कि उसे रुपये नही चाहिये। अपीलान्टान अपने बाबा रेस्पो.2 डालचन्द्र पुत्र सोनपाल की सेवा सुश्रुषा एवं देखभाल कर रहे हैं। अतः अपीलाधीन आदेश रुपये जमा कराये जाने बाबत निरस्त किया जावे।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर गौर किया। अपीलान्ट के कथनों से हम सहमत नहीं हैं। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 19—7—2024 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर